

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3449 /2023 दिनांक : 23.11.2023

श्रीमती मनीषा चौधरी -II (RJ00960), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरौही को दिनांक 28.11.2023 से 02.12.2023 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.11.2023 से 27.11.2023 एवं 03.12.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरौही के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 22.11.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/126/2015/7472

दिनांक 23.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरौही को उनके पत्रांक 4608 दिनांक 20.11.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती मनीषा चौधरी -II (RJ00960), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरौही ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरौही ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही।


सहायक रजिस्ट्रार